न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0– 343/2021 | दर्ज दिनांक 02.11.2021

जी सी एम एस न0 2021/772 | निर्णय दिनांक 13.02.2023

रामचन्द्र सैनी बनाम अनिता आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम दीपपुरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा न. 650/122 रकबा 0.0200 है0, खसरा न. 82 रकबा 0.4900 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5100 है0 भूमि में वादी के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.09.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र कमांकः– भू.अ./2022/3372 दिनांक 21.10.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.10.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.10.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

13/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न0– 343/2021 दर्ज दिनांक 02.11.2021
जी सी एम एस न0 2021/772 निर्णय दिनांक 13.02.2023
रामचन्द्र सैनी बनाम अनिता आदि

दावा विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.10.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 21.10.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी **को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।** निज..–............निल............... मुबलिक –.............निल................. दाबन.–............... ....निल...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 02 सन 2023 को जारी की गई।

13/2/23

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:59:30 IST
Reason: SelfAttested